रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D(D)72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 1980/ भाद्र 20, 1902

No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1980/BHADRA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1980

सा०का०नि० 534 (अ).—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिये, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन परिस्थितियों में बनाना चाहती है जिनमें यह केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श किये बिना इन नियमों का बनाना आवश्यक समझती है । जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (1) में अपेक्षित है, उक्त प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन के पश्चात् विचार किया जायेगा । इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1980 है ।

2. (i) उक्त नियमों के नियम 42 में खण्ड (ण) और (त) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ण) नियम 44 के अधीन यथा-स्वीकृत देशी कोल्हू से प्रसंस्कृत तेल के साथ आयातित परिष्कृत खाद्य तेल के मिश्रण के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा :—

मिश्रित तेल
इस मिश्रण में परिष्कृत.....(तेल का नाम) है।
(आयातित).....प्रतिशत और.....
(तेल का नाम) (देशी).....प्रतिशत।"

(ii) नियम 41 में दूसरे और तीसरे उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि निम्नलिखित मिश्रणों के संबंध में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक खण्ड (ङ) का प्रतिषेध अप्रवर्तनशील रहेगा :—

(क) देशी कोल्हू से प्रसंस्कृत मूंगफली के तेल के साथ परिष्कृत आयातित सोयाबीन के तेल के मिश्रण में मूंगफली के तेल का भाग भार के अनुसार 30 प्रतिशत से न्यून और 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ख) देशी कोल्हू से प्रसंस्कृत सरसों के तेल के साथ परिष्कृत आयातित रेपसीड तेल के मिश्रण में सरसों के तेल का भाग भार के अनुसार 10 प्रतिशत से कम और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इन मिश्रणों में मिलाये गये तेल ऐसे तेलों के लिये विहित मानकों के अनुरूप होंगे । वे मिश्रण निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होंगे :—

(1) आर्द्रता	भार के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं
(2) वसा रहित अम्ल (तेल अम्ल के समान)	भार के 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
(3) गैर-साबुनीकरणीय पदार्थ	भार के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं"

मिश्रण केन्द्रीय सरकार के नागरिक पूर्ति विभाग अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किया और बेचा जायेगा ।

[संख्या पी० 15014/8/80-पी०एच० (एफ०एण्ड एन०) पी०एफ०ए०]
सी०वी०एस० मणि, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1980

G.S.R. 534(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the circumstances which in the opinion of the Central Government render it necessary to make rules without consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after 30 days of its publication in the Gazette of India. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules on or before the date so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1980.

2. (i) In rule 42 of the said rules, for the clauses (O) and (P), the following shall be substituted, namely :—

"(O) Every package containing an admixture of imported refined edible oil with indigenous Expeller processed oil as permitted under Rule 44 shall carry the following label :

BLENDED OILS
This admixture contains Refined....(Name of Oil) (inported).....per cent and..... (Name of Oil)....(indigenous).....per cent."

(ii) In rule 44, for second and third proviso the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that the prohibition in clause (e) shall remain inoperative for a period of 5 years from the date of publication in respect of the following admixtures :—

(a) Refined imported soyabean oil with indigenous raw expeller processed groundnut oil, where proportion of groundnut oil shall not be less than 30 per cent and not more than 50 per cent by weight.

(b) Refined imported rapeseed oil with indigenous raw expeller processed mustard oil, where proportion of mustard oil shall not be less than 10 per cent and not more than 20 per cent by weight :

Provided also that the oils used in the admixtures shall conform to the standards prescribed for such oils. These admixtures shall also conform to the following standards :—

(i) Moisture	Not more than 0.25 per cent by weight.
(ii) Free Fatty Acids (as oleic acid).	Not more than 1.0 per cent by weight.
(iii) Unsaponifiable matter	Not more than 1.5 per cent by weight."

The admixtures shall be processed and sold by the Department of Civil Supplies of the Central Government or their authorised agents.

[No. P. 15014/8/80--PH(F&N) PFA]
C. V. S. MANI, Addl. Secy.

शिक्षा मंत्रालय/Min. of Education
सी. आर. अनुभाग/
C. R. Section
26 SEP 1980
न. दिल्ली./N. Delhi

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980